न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 61 / 2022 GCMS No.–2022/119

1. किशोर पुत्र स्व. बालू,
2. राजेन्द्र पुत्र स्व. बालू
   समस्त जाति कोली, समस्त निवासीगण ग्राम माधोगढ, तहसील तूंगा, जिला जयपुर (राज0)

...अपीलांटस

बनाम

1. हीरालाल पुत्र स्व. बालूराम
2. नोरती लाल पुत्र स्व. बालूराम
3. रामपति पत्नी स्व. पप्पूलाल
4. विकास पुत्र स्व. पप्पूलाल
5. विष्णु पुत्र स्व. पप्पूलाल
6. छोटेलाल पुत्र स्व. पप्पूलाल
7. पिंकी पुत्री स्व. पप्पूलाल
8. सीमा पुत्री स्व. पप्पूलाल
9. बीना पुत्री स्व. पप्पूलाल

   समस्त जाति कोली, निवासीगण–ग्राम माधोगढ, तहसील तूंगा, जिला जयपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा, तहसील तूंगा, जिला जयपुर।
11. उपपंजीयक महोदय तूंगा, तहसील तूंगा, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

12. सोमा पुत्री स्व. बालू पत्नी पप्पू
13. गुड्डी पुत्री स्व. बालू पत्नी रामकरण

    समस्त जाति कोली, निवासीगण–बिदरखां, तहसील लवाण, जिला दौसा (राज0)

14. मंजू पुत्री स्व. बालू पत्नी श्री मुकेश
15. छोटी पुत्री स्व. बालू पत्नी श्री कजोड

    समस्त जाति कोली, निवासीगण–बालमुकुन्दपुरा उर्फ बासडा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

.....तरतीबी पक्षकार

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नामान्तकरण संख्या 576 दिनांक 04.01.2002 वाके ग्राम ग्वालिनी, पटवार हल्का माधोगढ, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तूंगा, तहसील बस्सी, हाल तहसील तूंगा, जिला जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार रेस्पा0 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23.12.2022

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी के निर्णय दिनांक 04.01.2002 जिससे नामान्तरकरण संख्या 576 वाके ग्राम ग्वालिनी, तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा स्वीकार किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.08.2022 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 10 की ओर से पैरोकार सरकार श्री प्रहलाद रावत उपस्थित आये। शेष रेस्पा0 को रजि0 नोटिस जारी किये गये थे बावजूद सूचना शेष रेस्पा0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पा0 संख्या 12 लगायत 15 वाके ग्राम माधोगढ तहसील तूंगा के निवासी है। अपीलांट्स स्व. बालू पुत्र तेज्या जाति कोली, निवासी ग्राम माधोगढ, तहसील तूंगा के विधिक वारिसान है तथा ग्रामीण परिवेश के होकर काश्त पेशा व्यक्ति है। अपीलांट्स एवं रेस्पा संख्या 12 लगायत 15 के पिता बालू पुत्र तेज्या के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नंबर 610 रकबा 15 बिस्वा हाल खसरा नंबर 1559 रकबा 0.19 है0 ग्राम ग्वालिनी में स्थित है। स्व. बालू अत्यन्त सीधे साधे व्यक्ति थे एवं राजकार्य में कम समझते थे, रेस्पा0 ने बालू को मृत बताकर एवं बालू का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर तहसीलदार बस्सी द्वारा रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 2 एवं रेस्पा0 संख्या 3 लगायत 9 के पिता स्व. पप्पूलाल व स्व. सोनी देवी ने अपने आपको स्व. बालू का वारिस बताकर फर्जीवाडा करते हुये अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण के तस्दीक के समय बालू पुत्र तेज्या स्वयं जीवित था जिसकी मृत्यु दिनांक 11.11.2010 को हुयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण तस्दीक करते समय बालू पुत्र तेज्या के संबंध में कोई जांच नहीं की गयी एवं बिना जानकारी के रेस्पा0 के नाम अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। अपीलांट्स एवं रेस्पा0 संख्या 12 लगायत 15 स्व. बालू के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। अपीलांट्स के पूर्वज स्व. बालू को उक्त भूमि तेज्या पुत्र रामदेव से विरासत में प्राप्त हुयी एवं रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 9 व उनके पूर्वजो द्वारा बालू पुत्र तेज्या के नाम का फायदा उठाते हुये अपीलांट्स के पिता बालू के जीवित रहते हुये फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर भूमि को अपने नाम करवा लिया। इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 95/2022 पुलिस थाना में दर्ज करवायी जो जैर अनुसंधान है। अपीलांट्स व रेस्पा0 संख्या 12 लगायत 15 के पिता बालू पुत्र तेज्या की

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है। दिनांक 16.08.2022 को अपीलांट्स अपनी विरासत की पुश्तैनी भूमि पर गये हुये थे तब रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 9 वादग्रस्त भूमि पर आये और अपीलांट को काम करने से रोकने लगे तब कारण पूछने पर उन्होनें वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम जारी होना बताया। जिसके पश्चात अपीलांट्स ने राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी की तब अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हुई एवं अपीलांट्स ने अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2002 द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 576 वाके ग्राम ग्वालिनी, तहसील बस्सी, हाल तहसील तूंगा को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्व. बालू के पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने में कोई त्रुटि नहीं की है इसलिए अपील खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अपील अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण संख्या 576 वाके ग्राम ग्वालिनी, तहसील बस्सी, हाल तहसील बस्सी निर्णित दिनांक 04.01.2002 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण स्व. बालू पुत्र तेज्या के वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 04.01.2002 के आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 04.01.2002 को नामान्तकरण संख्या 576 तस्दीक किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि रेस्पा0 1 एवं 2 तथा रेस्पा0 संख्या 3 लगायत 9 के पिता के द्वारा स्वयं को बालू का वारिस बताते हुए फर्जी वारिस प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जबकि अपीलांट्स के पिता बालू तत्समय जीवित थे एवं अपीलांट व रेस्पा0 12 लगायत 15 ही बालू पुत्र तेज्या के विधिक वारिसान है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि दिनांक 04.01.2002 को बालुराम पुत्र तेजाराम कोली का मृत्यु प्रमाण पत्र जरिये ग्राम पंचायत जारी किया गया जिसके आधार पर उसी दिन प्रशासन गांवो के संग अभियान में तहसीदार बस्सी द्वारा स्व. बालु की विरासत का नामान्तकरण रेस्पा0 नाम तस्दीक कर दिया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 15.03.2022 को शपथ पत्र में अंकित किया है कि उनके पिता की मृत्यु दिनांक 05.03.1984 को हुई है एवं उसके भाई पप्पूलाल द्वारा दिनांक 04.01.2002 को ग्राम पंचायत से जारी करवाया गया स्व. बालू का मृत्यु प्रमाण

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पत्र गलत है। इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा एफ.आई.आर भी पुलिस थाना तूंगा में दर्ज करवायी है जो जैर अनुसंधान है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसनामे के आधार पर एक ही दिवस में स्व. बालु पुत्र तेज्या के विधिक वारिसान की जांच किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जिससे प्रतीत होता है कि तहसीलदार बस्सी द्वारा नियमानुसार स्व. बालु के विधिक वारिसान की जांच नहीं की जो विधिक प्रावधानो के अनुसार उचित नहीं है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, बस्सी का आदेश दिनांक 04.01.2002 बाबत नामान्तरकरण संख्या 576 वाके ग्राम ग्वालिनी, तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, तूंगा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को विधिवत, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, विधिक प्रावधानो के अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार तूंगा को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर